संख्या-10/2017/1178/छः ना0सु0-17-45सीडी/06

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
नागरिक सुरक्षा,
उ0प्र0 लखनऊ।

2- **जिलाधिकारी/नियंत्रक,**
समस्त नागरिक सुरक्षा जनपद,
उत्तर प्रदेश।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2017

विषय- नागरिक सुरक्षा संगठन में वार्डेन सेवा के पदाधिकारियों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक सुरक्षा के पत्र संख्या-2475/अनु-1/89/2014 दिनांक 23-08-2017 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-479/छः ना0सु0-13-110सीडी/2008 दिनांक 30-05-2013 एवं शासनादेश संख्या-549/छः ना0सु0-16-45सीडी/2005 दिनांक 14-12-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त नागरिक सुरक्षा संगठन की वार्डेन सेवा के पदाधिकारियों का दो टर्म के पश्चात् नवीनीकरण् किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं -

(क) यदि जिलाधिकारी, वार्डेन सेवा में चीफ वार्डेन, डिप्टी चीफ वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन तथा डिप्टी डिवीजनल वार्डेन पद पर तैनात पदाधिकारी का नवीनीकरण दो टर्म (6 वर्ष) के पश्चात् आवश्यक समझते हैं, तो इस सम्बन्ध में समस्त तथ्यों/ कारणों का उल्लेख करते हुए अपनी संस्तुति टर्म समाप्त होने के लगभग एक माह पूर्व महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा को उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, नागरिक सुरक्षा द्वारा अपनी संस्तुति सहित शासन को प्रस्ताव

अग्रसारित किया जायेगा तथा शासन के अनुमोदन के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा नवीनीकरण सम्बन्धी आदेश जारी किया जायेगा।

(ख) वार्डेन सेवा के शेष पद यथा-स्टाफ आफिसर टू चीफ वार्डेन, स्टाफ आफिसर टू डिवीजनल वार्डेन, घटना नियंत्रण अधिकारी, पोस्ट वार्डेन, डिप्टी पोस्ट वार्डेन, सेक्टर वार्डेन को दो टर्म के पश्चात् नवीनीकरण जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जायेगा।

2- पदाधिकारियों के नवीनीकरण की संस्तुति करने तथा नवीनीकरण करने में शासनादेश संख्या-479/छः ना0सु0-13-110सीडी/2008 दिनांक 30-05-2013 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित तथ्यों का संज्ञान लिया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा।
2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील यादव)
अनुसचिव।